

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या- प्रशि.प्रको./विशेषज्ञ/पुनर्योजन विस्तार/2019-20/2662

लखनऊ: दिनांक 24/09/2020

—:: आदेश ::—

विशेषज्ञ विस्तार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-157/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या-1961/सेक-2-पाँच-14-7(255)/13, दिनांक 18.06.2014, संख्या-965/सेक-2-पाँच-16-7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016, शासनादेश संख्या-1858/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-2996/सेक-2-पाँच-17-7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।

पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवाविस्तार हेतु उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा परफार्मेंस रिपोर्ट के आधार पर सेवा विस्तार की संस्तुति की गयी है। नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित होकर शासकीय कार्य समय एवं लगन के साथ सम्पादित कर रहा है। किसी भी प्रकार का विचलन पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा भ्रम की स्थिति में महानिदेशालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।

- 1- पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संदर्भीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।
- (2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।
- (3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।
- (4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भाँति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के सहायक नियम-157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।
- (5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम-16-ए में प्राविधानित है।
- (6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।
- (7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भाँति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

- (8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।
- 2- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।
- 3- सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
- 4- यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।
- 5- पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि 15 दिन में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बन्धित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

S. No.	Name	Seniority Number	DOB	Date of Retirement	Specialist	Place of Posting
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. Ravindra Nath Rai	5286	01-01-1956	31-12-2015	Surgeon	District Male Hospital Gorakhpur
2.	Dr. Uday Veer Singh	5008	15-01-1957	31-01-2017	TB Chest Disease Specialist	District Male Hospital Bulandshahr
3.	Dr. Manjeet Kaur	7163	26-09-1956	30-09-2016	Gynecologist	Under CMO Shamli
4.	Dr. Ram Kishore	7508	14-06-1957	30-06-2019	Anesthetist	UHM District Male Hospital Kanpur Nagar
5.	Dr. Ramesh Chandra	5583	01-03-1957	28-02-2017	Eye Surgeon	District Male Hospital Jhansi
6.	Dr. Ishwar Saran	5424	26-11-1956	30-11-2016	Neuro Surgery Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
7.	Dr. Sharad Kumar	11814	03-02-1957	28-08-2017	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Varanasi
8.	Dr. Raj Kumar Gupta	5489KA	06-11-1956	30-11-2016	Surgeon	Dr. SPM Hospital Lucknow
9.	Dr. Nagendra Singh	6118	02-01-1957	31-01-2017	Orthopaedics Specialist	Pt. DDU Hospital Varanasi
10.	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	5861	10-07-1956	31-07-2016	Orthopaedics Specialist	Dr. SPM Hospital Lucknow
11.	Dr. Madhu Sudan Lal	6101	01-06-1957	31-05-2019	Eye Surgeon	UHM District Male Hospital Kanpur Nagar
12.	Dr. Manju Rathore	6408	29-07-1956	31-07-2016	Gynecologist	LBRN Combined Hospital Lucknow
13.	Dr. Renuka Misra	5056	27-04-1956	30-04-2016	Gynecologist	BRD Hospital Lucknow
14.	Dr. O.P.Dwivedi	5836	01-09-1956	31-08-2016	Ent Specialist	Moti Lal Nehru Hospital Prayagraj
15.	Dr. Bireshwar Narain	6420	23-10-1955	31-10-2015	Dermatologist Specialist	District Male Hospital Ballia

16.	Dr. Arvind Kumar Agarwal	8518	10-05-1957	31-05-2019	Paediatrician	District Male Hospital Muzaffarnagar
17.	Dr. Bimal Kumar Singh	6191	04-02-1957	28-02-2017	Surgeon	UHM District Male Hospital Kanpur Nagar
18.	Dr. Pradeep Kumar Gupta	7156	26-12-1956	31-12-2016	Paediatrician	UHM District Male Hospital Kanpur Nagar
19.	Dr. Suresh Kumar	8222	08-07-1956	30-06-2016	Paediatrician	District Combined Hospital Sonbhadra
20.	Dr. Purnima Srivastava	5106	01-07-1956	30-06-2016	Paediatrician	LBRN Combined Hospital Lucknow
21.	Dr. Shrikrishan	7488	11-11-1955	30-11-2015	Paediatrician	District Male Hospital Bareilly
22.	Dr. Bheem Singh	8174	19-06-1958	31-10-2016	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mau
23.	Dr. Ranjan Kumar Rakesh	6812	05-03-1957	31-03-2017	Radiologist	Pt. DDU Hospital Varanasi
24.	Dr. Anurag Kumar Rajvanshi	4371	27-11-1955	30-11-2015	Pathologist	District Male Hospital Aligarh
25.	Dr. Ram Prakash	8314KA	01-07-1956	30-06-2016	Medicine Specialist	Balrampur Hospital Lucknow
26.	Dr. Neeti Srivastava	6342	10-05-1957	31-05-2019	Medicine Specialist	TB Spru Hospital Prayagraj
27.	Dr. R.C.Niranjana	5773GH	01-01-1957	31-01-2017	Paediatrician	District Male Hospital Jalaun
28.	Dr. Girija Shanker Tripathi	5371	27-02-1957	28-02-2017	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Pilibhit
29.	Dr. Sushma Gupta	6325	04-01-1956	31-01-2016	Gynecologist	District Female Hospital Ayodhya
30.	Dr. Vijay Singh Chauhan	5760	18-02-1957	28-02-2017	Surgeon	Under CMO Lucknow
31.	Dr. Rakesh Tewari	5495	30-09-1956	30-09-2016	Surgeon	District Male Hospital Ayodhya
32.	Dr. Ashok Kumar Singh	5543	01-06-1957	31-05-2019	Surgeon	Moti Lal Nehru Hospital Prayagraj
33.	Dr. Shambhu Singh	7114	01-07-1956	30-06-2016	Orthopaedics Specialist	District Combined Hospital Maharajganj
34.	Dr. Devendra Kumar Singh	6806	31-12-1955	31-12-2015	Paediatrician	District Combined Hospital Maharajganj
35.	Dr. Om Prakash	6207	20-07-1956	31-07-2016	Paediatrician	District Combined Hospital Sant Kabir Nagar
36.	Dr. Basant Lal	7074	01-06-1957	31-05-2019	Paediatrician	District Male Hospital Aligarh
37.	Dr. Sri Ram Soni	5593	01-07-1956	30-06-2016	Eye Surgeon	District Male Hospital Jhansi
38.	Dr. Chandanlal	7564	15-05-1957	31-05-2019	Social And Preventive Medicine (SPM) Specialist	Under CMO Prayagraj
39.	Dr. Rashmi	5163	23-06-1957	30-05-2017	Eye Surgeon	District Male Hospital Pratapgarh
40.	Dr. Shyam Sunder Chabra	6849	05-01-1957	31-01-2017	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Mathura
41.	Dr. Shaila Tripathi	5087	27-05-1957	31-05-2019	Gynecologist	Under CMO Varanasi
42.	Dr. Sushil Kumar Rai	4451	04-10-1955	31-10-2015	Radiologist	Balrampur Hospital Lucknow
43.	Dr. Hari Ram	6666	01-01-1956	31-12-2015	Surgeon	District Male Hospital Basti

44.	Dr. Kanchan Lata Srivastava	4575	11-11-1955	30-11-2015	Gynecologist	AHM Female Hospital Kanpur Nagar
45.	Dr. Yashwant Singh	6068	10-02-1957	28-02-2017	Ent Specialist	District Male Hospital Sitapur
46.	Dr. Suresh Kumar Verma	7168	16-12-1955	31-12-2015	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Ayodhya
47.	Dr. Murari Lal Sharma	7065	05-03-1957	31-03-2017	Chest Disease Specialist	District Male Hospital Bareilly
48.	Dr. Lok Ram Sachan	5878	12-03-1956	31-03-2016	Orthopaedics Specialist	District Combined Hospital Kanpur Dehat
49.	Dr. Sadanand	5425	21-12-1956	31-12-2016	Surgeon	Dr. SPM Hospital Lucknow
50.	Dr. Rakesh Saxena	4863KA	26-02-1956	29-02-2016	Psychiatry Specialist	Dr. SPM Hospital Lucknow
51.	Dr. Prem Narain Bajpayee	7235	02-07-1956	31-07-2016	Orthopaedics Specialist	District Male Hospital Unnao
52.	Dr. Kamal Kumar	7415K	27-05-1957	31-05-2019	Anesthetist	District Male Hospital Unnao
53.	Dr. Archana Srivastava	11683	05-04-1957	30-04-2017	Paediatrician	Dr. SPM Hospital Lucknow

For Selected Candidate:-

- It is mandatory to submit their Manav Sampada forms within 15 days of joining if their Manav Sampada form has not been filled in the past. The form must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the form reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- It is mandatory to submit their Joining report forms within 15 days of joining. The report must be signed by their respective CMO/CMS/office head. It is their duty to ensure the report reaches Swathya Bhawan within 15 days of joining.
- The time for joining will be 15 days within date of appointment.


महानिदेशक

संख्या-प्रशि.प्रको. / विशेषज्ञ / पुनर्योजन विस्तार / 2020-21 / 2663-73 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, लखनऊ।
- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, उ०प्र०, लखनऊ।
- सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला (पुरुष/महिला) चिकित्सालय, उ०प्र०।
- सम्बंधित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- चिकित्सा अनुभाग-2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
- संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत तिथि के 15 दिन के भीतर, प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें, यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। तथा योगदान तिथि से 15 दिन के अन्दर अपने नियंत्रक अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त योगदान आख्या की प्रमाणित प्रति एवं मानव सम्पदा फार्म भर कर महानिदेशालय के (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में वेतन का भुगतान नहीं हो पायेगा।
- गार्ड फाइल।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)